कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1716 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली,
चार्टड एकाउन्टेट, ग्राम लिखवारगांव,
पोस्ट कोटालगांव, ब्लाक प्रतापनगर,
जनपद टिहरी गढ़वाल

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 29 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01, में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में केवल तीन जनपदों (देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर) में कुल 558 VVPAT मशीन का उपयोग किया।
2. बिन्दु संख्या– 02 एवं 03 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि 12– प्रतापनगर में VVPAT का उपयोग नहीं हुआ जिस कारण सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त - 30/3/2017

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

सूचना का अनुरोध पत्र धारा 6 (1)

1 अनुरोध कर्ता का नाम : राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली, चार्टर्ड एकाउन्टेट

2 पत्राचार का पूरा पता : ग्रम लिखवारगॉव, पोस्ट कोटालगावॅ, ब्लाक प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
मोबाईल नम्बर 09868231957 , 09654431957

3 इच्छित सूचना का विवरण :

1 उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 2017 में, कुल कितनी वी.वी.पी.ए.टी. मशीनों का उपयोग किया गया है ?

2 12 प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत किन – किन बूथो पर वी.वी.पी.ए.टी (Voter-verified paper audit trail or verified paper record) का इस्तेमाल किया गया है। कृपया बूथ का नाम व संख्या बताये

3 12 प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में जीन बूथो पर वी.वी.पी.ए.टी (Voter-verified paper audit trail or verified paper record) का इस्तेमाल किया गया था, उनमें वी.वी.पी.ए.टी की गणनानुसार प्रतिबूथ – प्रत्याशीवार पडे. मतो की संख्या का विवरण उपलब्ध करवाये ?

4 सम्बन्धित विभाग का नाम : कार्यालय, निर्वाचन विभाग / चुनाव आयोग,
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सरकार,
सचिवालय नार्थ ब्लाक, 4 सुभाष रोड., देहरादून

5 आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण : रुपये 10 का पोस्टल आर्डर.....नं० 37F 811658
दिनांक 29-3-17

6 आवेदन पत्र जमा करने की तिथि : 29-03-2017

7 आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान : [signature]

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1717 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली, चार्टड एकाउन्टेट, ग्राम लिखवारगांव, पोस्ट कोटालगांव, ब्लाक प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 30 मार्च, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1717 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली, चार्टड एकाउन्टेट, ग्राम लिखवारगांव, पोस्ट कोटालगांव, ब्लाक प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त - 31/3/2017

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

सूचना का अनुरोध पत्र धारा 6 (1)

1 अनुरोध कर्ता का नाम : राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली, चार्टड एकाउन्टेट

2 पत्राचार का पूरा पता : ग्राम लिखवारगॉव, पोस्ट कोटालगावॅं, ब्लाक प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
मोबाईल नम्बर 09868231957 , 09654431957

3 इच्छित सूचना का विवरण :

1 क्या चुनाव आयोग द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 व 191 में "सदस्यता के लिय निरर्हताएं" शीर्षक में उल्लेखित, निम्न की पुष्टि के लिये प्रत्याशी से नामांकन के दौरान एफीडेविट (शपथपत्र) लिया जाता है।

(क) यदि वह भारत के या पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्टं किसी राज्य की सरकार के अधिन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मंण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण किया है ;

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायलय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुंमोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नही है या उसने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है;

(ङ) यदि वह संसद द्वारा या उसके अधिन बनायी गयी किसी विधि द्वारा इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है;

2 क्या चुनाव आयोग द्वारा 2017 के उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव में भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 व 191 में "सदस्यता के लिय निरर्हताएं" शीर्षक में उल्लेखित उपरोक्त की पुष्टि के लिये प्रत्याशी से नामांकन के दौरान एफीडेविट (शपथपत्र) लिया गया है ? यही हॉं!

3 क्या उन एफीडेविटस् (शपथपत्र) की कोई औपचारिक जाचं करवायी गयी है? यदि हॉं !

4 2017 के उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव में भारतीय, संविधान के आर्टिकल 102 व 191 में "सदस्यता के लिये निरर्हताएं" शीर्षक में उल्लेखित उपरोक्त बिन्दुओ की पुष्टि के लिये, एफीडेविटस् की औपचारिक जाचॅं में कोई अयोग्य पाया गया है?

5 निरर्हित (अयोग्य) पाये गये प्रत्याशियों के नाम व उनके विधान सभा क्षेत्र का नाम ?

6	सम्बन्धित विभाग का नाम	:	कार्यालय, निर्वाचन विभाग / चुनाव आयोग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सरकार, सचिवालय नार्थ ब्लाक, 4 सुभाष रोड., देहरादून
7	आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण	:	रुपये 10 का पोस्टल आर्डर.....सं. 37F 815373 दिनांक 30/3/17
8	आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	:	30/3/2017
9	आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	:	[signature]

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1718 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री नरेन्द्र सजवाण, (समाजसेवी)
जी–8 सैनिक कालोनी हरिपुर,
पो0 नवादा, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01, में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. बिन्दु संख्या– 02 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है।
3. बिन्दु संख्या– 03 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष/सचिव द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री का नाम प्रेषित किया जा है तो वह खर्चा प्रत्याशी के खर्चे सम्मिलित किया जाता है।
4. बिन्दु संख्या– 04 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार ही प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किया जाता है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

"सारणी

क्रम सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किसी एक में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र
	1	2	3
	I. राज्य		
	I- राज्य	रुपए	रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	70,00,000	28,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	54,00,000	20,00,000
3.	असम	70,00,000	28,00,000
4.	बिहार	70,00,000	28,00,000
5.	गोवा	54,00,000	20,00,000
6.	गुजरात	70,00,000	28,00,000
7.	हरियाणा	70,00,000	28,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	70,00,000	28,00,000
9.	जम्मू–कश्मीर	70,00,000	....
10.	कर्नाटक	70,00,000	28,00,000
11.	केरल	70,00,000	28,00,000
12.	मध्य प्रदेश	70,00,000	28,00,000
13.	महाराष्ट्र	70,00,000	28,00,000
14.	मणिपुर	70,00,000	20,00,000
15.	मेघालय	70,00,000	20,00,000
16.	मिजोरम	70,00,000	20,00,000
17.	नागालैंड	70,00,000	20,00,000
18.	उड़ीसा	70,00,000	28,00,000
19.	पंजाब	70,00,000	28,00,000
20.	राजस्थान	70,00,000	28,00,000
21.	सिक्किम	54,00,000	20,00,000
22.	तमिलनाडु	70,00,000	28,00,000

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

23.	त्रिपुरा	70,00,000	20,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	70,00,000	28,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	70,00,000	28,00,000
26.	छत्तीसगढ़	70,00,000	28,00,000
27.	उत्तराखंड	70,00,000	28,00,000
28.	झारखंड	70,00,000	28,00,000
	II.संघ राज्यक्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	54,00,000	....
2.	चंड़ीगढ़	54,00,000	....
3.	दादरा और नागर हवेली	54,00,000	....
4.	दमण और दीव	54,00,000	....
5.	दिल्ली	70,00,000	28,00,000
6.	लक्षदीप	54,00,000	....
7.	पांडिचेरी	54,00,000	20,00,000

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(विधि मंत्रालय की दिनांक 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं0 11019 (3) 2014 विधि –.II)

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून, उत्तराखण्ड

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर सूचना देने का कष्ट करें,

(1) निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सदस्य के चुनाव प्रचार हेतु निर्धारित अधिकतम खर्च कितना है - ?

(2) देश के प्रधानमंत्री एव गृहमंत्री द्वारा की जाने वाली एक चुनावी रैली का खर्च वर्तमान मूल्य दर के अनुसार कितना होता है - ?

(3) क्या उपरोक्त पदेन महानुभावों द्वारा की जाने वाली रैली का खर्च संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है - - ?

(4) यदि कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जाते है -

कृपया उपरोक्त सूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें

सधन्यवाद

प्रार्थी
नरेन्द्र सजवाण
(समाजसेवी)
ज. 8- सैनिक कालोनी हरिपुर
पो०. नवादा, देहरादून
mob- 9557904541

संलग्नक - पोस्टल आर्डर
मू० 10 रु०

श्री सेमवाल
उपलब्ध सूचना अनुसार सूचना उपलब्ध करायें

20-3-17

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1719/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

Ripleys Guinness Rishi,
524, Main Road, Dhirpur,
Nirankari Colony, Delhi-110009

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्र्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 25 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01, में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के कुल 86 पृष्ठ हैं जिसमें प्रति पृष्ट 02.00 की दर से भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है।
2. बिन्दु संख्या– 01 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्येक मतदेय स्थलवार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के विवरण से संबंधित कुल 712 पृष्ट हैं जिसमें प्रति पृष्ठ 02.00 की दर से भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न~~–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

OK

जन संघर्ष मोर्चा
उत्तराखण्ड

रघुनाथ सिंह नेगी
अध्यक्ष
पूर्व उपाध्यक्ष
गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN)

निवासः अस्पताल रोड़, विकासनगर
जनपदः देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोनः 08979309099
email: rsnegi078@gmail.com

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट प्राप्त

क्रमांक.......................... दिनांक 9/3/17

REGD.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
राज्य निर्वाचन, उत्तराखण्ड
देहरादून।

श्री सेमवाल
तदनुसार PIO
जिला निर्वाचन कार्यालय
हरिद्वार को उक्त सूचना
उपलब्ध कराने हेतु
प्रेषित करें
B Rawat
10-3-17
S.O/P.I.O

विषय:- सूचना अधि० अधि० के तहत सूचना उपलब्ध कराने जाने विषयक।

महोदय,
कृपया निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें -

1- 10 फरवरी 2017 को हरिद्वार में आयोजित P.M. श्री मोदी की रैली/जनसभा के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आपको प्रेषित रिपोर्ट, आपके द्वारा अनुमति/अनुमति मामले में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित मातहत अधिकारियों को प्रेषित पत्र, कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको प्रेषित शिकायती पत्र, उक्त रैली/जनसभा की अनुमति के न होने के मामले में आप द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पत्र की प्रतियां, भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमें व सम्बन्धित आपको प्रेषित पत्र की प्रतियां व उक्त मामले में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतियां,

2- राज्य निर्वाचन, उत्तराखण्ड द्वारा जनपदों में खासतौर पर जनपद हरिद्वार में आचार संहिता के दौरान लगायी गयी धारा 144 से सम्बन्धित दस्तावेज तथा (जिला) निर्वाचन अधिकारी द्वारा धारा 144 लागू की गयी तो आपको सूचनार्थ पत्र की प्रतियां,

संलग्नक - आ०पो०आर्डर सं० 37F 802424
मूल रूप में।

भवदीय
(रघुनाथ सिंह नेगी)

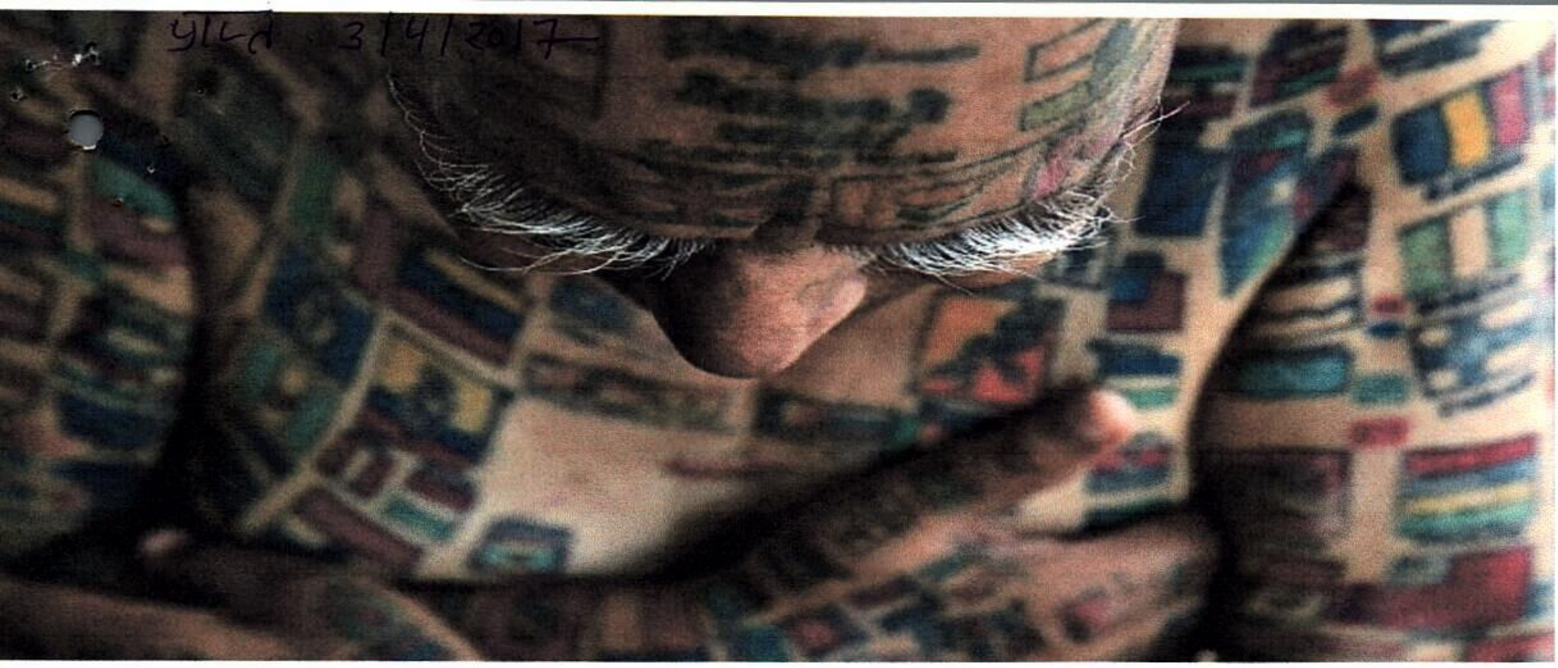

www.fightanduniteagainstterrorism.com, ww.guinnessrishiworldrecords.com

To, Date: 25.03.2017

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, GOVT. OF UTTARAKHAND, DEHRADUN-248001

The Chief Election Commission of India

New Delhi-110001

Sub: information under R.T.I. ACT, 2005 from office of Chief Election Office.

Respected Sir,

N A M A S A K A A R

1. Sir I wish to collect a few information under R.T.I. ACT, 2005 from office of Chief Election Office, period for which information required for Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttrakhand and Manipur concerned election officer (Depute in concerned assemblies elections 2017).
2. Please help me to inform me to whom I should send my request and at what addresses.

With my sincere appreciation and sense of very high regards.

Respectfully yours

Ripleys Guinness Rishi

RIPLEYS GUINNESS RISHI

524, Main Road Dhirpur, Nirankari Colony, Delhi -110009, (India)

email-guinness_recordsholder@yahoo.co.in, Mobile. No- {+91-11-9811161630}

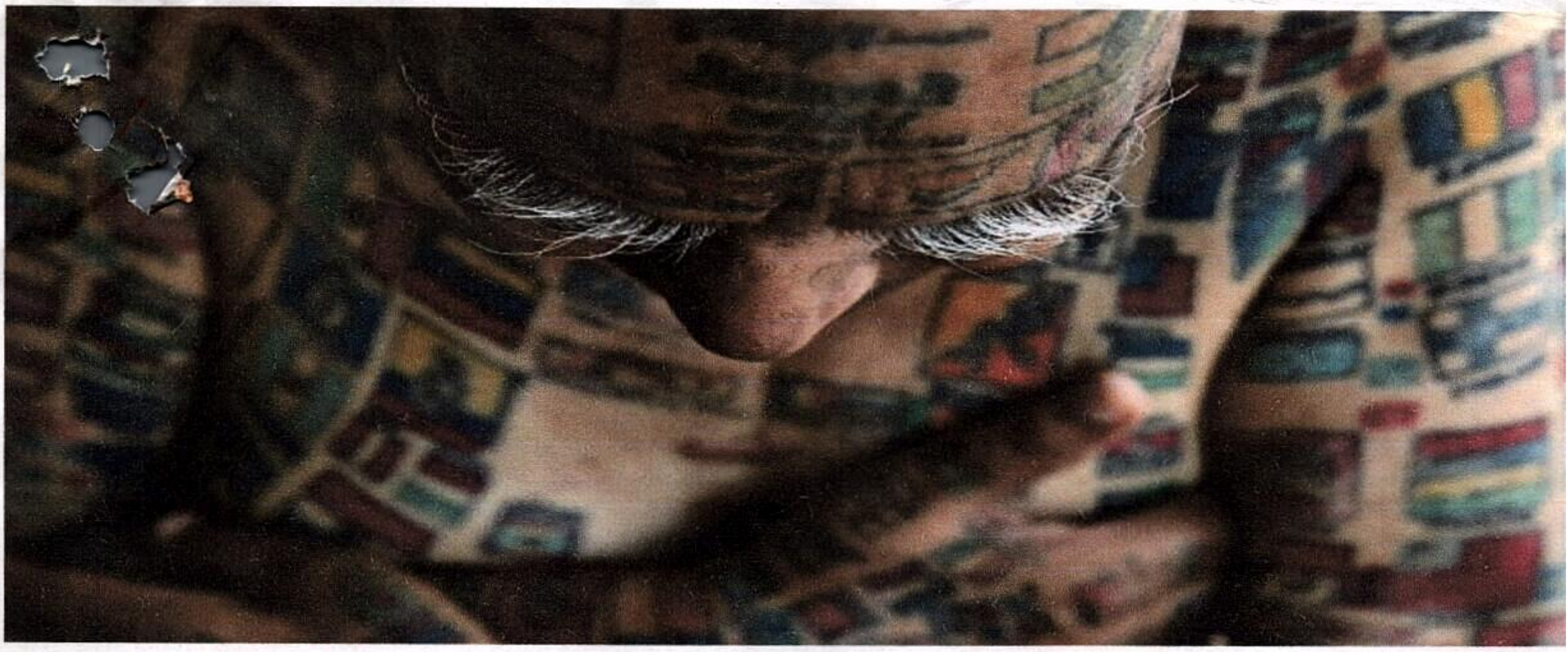

www.fightanduniteagainstterrorism.com, www.guinnessrishiworldrecords.com

FORM OF APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION
(AS PER R.T.I. ACT, 2005)

To CHIEF ELECTORAL OFFICER, GOVT OF. UTTARAKHAND DEHRADUN
The Chief Election Commission of India
And
The Central Public Information Officer,
Office of Joint Chief Election Officer,
New Delhi-110001

1. **Name of the applicant**:-
Ripleys Guinness Rishi
524, Main Road, Dhirpur, Nirankari Colony, Delhi – 110009

a) **Concerned department**:-
Office of Chief Election Officer, Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttrakhand and Manipur concerned election officer (Depute in concerned assemblies elections)

b) **Particulars of information required**:-

i) Please provide the information of **list of candidates** who were contesting elections in **Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttrakhand and Manipur** with detail of SERIAL NUMBERS of candidates with **SYMBOLS ALLOTED ON TOP OF EVMs** and achieved POSATAL VOTES from every polling booth in 2017 Election.

ii) **Period for which information asked for**:-
Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttrakhand and Manipur Assembly election 2017.

4. I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 6 of the Act and to the best of my knowledge it pertains to your office.
5. A fee of Rs.10/- (Postal Order) vide No. 38F 140344 dated 23-03-2017 has been affixed.

With my sincere appreciation and sense of very high regards.

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या/1720 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री रघुनाथ सिंह नेगी
निवास–अस्पताल रोड़ विकासनगर
जिला देहरादून।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 के क्रम में अवगत कराना है कि वांछित सूचना कुल 34 पृष्ठ उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. बिन्दु संख्या–02 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित सूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
B.S.Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 1278 /XXV – 39 / 2016 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2017

सेवा में,

ELECTION-URGENT

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
हरिद्वार।

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017, रिटर्निगं अधिकारी हरिद्वार द्वारा 10 फरवरी, को ऋषिकुल में हुई माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की जनसभा के संबंध में भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद गैरोला के शिकायती पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2017 जिसमें उनके द्वारा रिटर्निगं अधिकारी हरिद्वार द्वारा 10 फरवरी, को ऋषिकुल में हुई माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की जनसभा के संबंध में भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, प्रकरण पर **तत्काल** अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या– 1278 / XXV – 39 / 2016, तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः– श्री ज्योति प्रसाद गैरोला, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी को उनके उक्त शिकायती पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंत्रांक:– 1941/25–शिकायत/(2016–17) दिनांक:–27 फरवरी,2017

विषय:– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017, रिटर्निंग अधिकारी हरिद्वार द्वारा 10, फरवरी 2017 को ऋषिकुल में हुई माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की जनसभा के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के उत्पीड़न के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1278/XXV-39/2016, दिनांक–23.02.2017 के संलग्नक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद गैरोला के शिकायती पत्र दिनांक 23.02.2017 जिसमें, उनके द्वारा रिटर्निंग अधिकारी, 25–हरिद्वार द्वारा 10 फरवरी को ऋषिकुल में हुई माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की जन सभा के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त प्रकरण पर तत्काल सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है, कि:–

श्री जयपाल सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक–03.02.2017 जो जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित है, के द्वारा अवगत कराया गया है, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत सरकार की जनसभा सैक्टर–4 जंगलवाला मैदान BHEL व ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में आने वाले कार्यक्रमानुसार होनी है, तथा भेल स्टेडियम हैलीपेड पर उनके हैलीकॉप्टर के उतरने व उड़ने की अनुमति होनी है, जिस हेतु BHEL व ऋषिकुल से सिटी मजिस्ट्रेट से NOC ली जानी है, उक्त कार्यक्रम दिनांक–10.02.2017 को तय हुआ है, व सम्पूर्ण कार्यक्रम Schedule होने व security clearence के पश्चात् पूरी तरह से जो सम्बन्धित विभागों की NOC के लिए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित करें।

उक्त आवेदन के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्र0) हरिद्वार द्वारा आपने पत्र संख्या–1617, दिनांक–04 फरवरी, 2017 को अधिशासी निदेशक BHEL रानीपुर हरिद्वार को माननीय प्रधानमंत्री जी के हैलीकॉप्टर BHEL स्टेडियम में हैलीपेड हेतु अनापत्ति/सहमति/आपत्ति के सम्बन्ध आख्या से अवगत कराने हेतु पत्रालेख भेजा गया। तथा इसी तिथि को रिटर्निंग आफिसर 25–हरिद्वार एवं 26–BHEL रानीपुर को आयोजित जनसभा के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। उक्त क्रम में BHEL टाउन शिप प्रशासक द्वारा हैलीकॉप्टर लैंडिंग व टेक ऑफ पर अनापत्ति उपलब्ध करायी गयी है।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र, 25 हरिद्वार।

कक्ष सं0 322, कलेक्ट्रेट रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार

पत्रांक : 100 / वि0स0सा0नि0 / 2017 दिनांक: 22 .02.2017

आदेश

1. दिनांक 10 फरवरी, 2017 को अपरान्ह में भारतीय जनता पार्टी के आयोजकों द्वारा एक जनसभा का आयोजन ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार के पूर्वी मैदान में किया गया था। जनसभा के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आया कि आयोजकों द्वारा जनसभा की विधिवत अनुमति रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत कर प्राप्त नहीं की गई है तथ्य संज्ञान में आते ही दिनांक 12.02.2017 को श्री मदन कौशिक, प्रत्याशी भाजपा, विधान सभा क्षेत्र 25 हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या 90 / नोटिस / वि0स0सा0र्नि0 / 2017 दिनांकित 12.02.2017 (संलग्नक 1), श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, भाजपा, विधान सभा 25 हरिद्वार को पत्रांक 90(1) / नोटिस / वि0स0 सा0र्नि0 2017 दिनांकित 12.02.2017 (संलग्नक 2) तथा श्री जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार को पत्रांक 90(3) / नोटिस / वि0स0सा0र्नि0 / 2017 दिनांकित 12.02.2017 (संलग्नक 3) नोटिस जारी किया गया। नोटिसों मे कहा गया कि प्रश्नगत जनसभा के सम्बन्ध में यदि कोई विधिवत अनुमति ली गई है तो उसे रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाय। श्री मदन कौशिक, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, 25 हरिद्वार की ओर से उनके चुनाव अभिकर्ता श्री मनोज कौशिक द्वारा प्रत्युत्तर दिनांकित 14.02.2017 (संलग्नक 4) प्रस्तुत कर कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने जनसभा में प्रतिभाग किया था तथा यह भी कहा कि जनसभा की व्यवस्था प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। श्री विकास तिवारी द्वारा दिनांक 14.02.2017 को नोटिस के उत्तर (संलग्नक 5) में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डा0 जयपाल सिंह द्वारा दिनांक 03.02.2017 को जिला निर्वाचन अधिकारी को जनसभा हेतु आवेदन किया गया था। उसके द्वारा जनसभा का आयोजन नही किया गया था बल्कि ऋषिकुल मैदान जिलाध्यक्ष के निर्देश पर जनसभा हेतु बुक करवाया था जिसके शुल्क का चैक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया था। खर्चो का वहन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। इसी प्रकार श्री जयपाल सिंह द्वारा भी दिनांक 13.02.2017 को अपना प्रत्युत्तर (संलग्नक 6) प्रस्तुत कर कहा कि जनसभा का आयोजन प्रदेश भाजपा उत्तराखण्ड द्वारा किया गया था। जिला हरिद्वार भाजपा का कार्य उक्त जनसभा में प्रतिभाग करने के लिए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को प्रेरित कर रैली को सफल बनाने का था। उक्त कार्य उत्तराखण्ड प्रदेश भाजपा के निर्देशों पर किया गया। उक्त जनसभा के सम्बन्ध में सहायक व्यय प्रेक्षक, 25 हरिद्वार विधान सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2017 को एक पत्र (संलग्नक 7) प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि दिनांक 10.02.2017 को उक्त जनसभा में बेरीकेडिंग, मंच, लाईट, कुर्सी, मेज, पंडाल, साउंड सिस्टम, मैट, कन्नात, सामियाना इत्यादि सामग्री की व्यवस्था मै0 वृन्दावन टेन्ट हाउस, देवपुरा हरिद्वार के माध्यम से करवाया गया है। सहायक व्यय प्रेक्षक के पत्र के आधार पर मै0 वृन्दावन टेन्ट हाउस, देवपुरा हरिद्वार को पत्रांक 90(2) / नोटिस / वि0स0सा0र्नि0 / 2017 (संलग्नक 8) दिनांकित 12.02.2017 के द्वारा तत्काल उक्त सामग्री की पृथक–पृथक संख्या तथा उस पर हुए व्यय के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में मै0 वृन्दावन टेन्ट हाउस, देवपुरा हरिद्वार द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांकित 13.02.2017 (संलग्नक 9) प्रस्तुत कर उक्त जनसभा में हुए व्यय का बिल प्रस्तुत किया गया। जिसमें वृन्दावन टेन्ट हाऊस के स्वामी द्वारा भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम से 1,85,920 रू0 का बिल जारी किया गया है। उपरोक्त सभी नोटिसों के उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि ऋषिकुल मैदान में जनसभा का आयोजन प्रदेश भाजपा उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर से किया गया है

था। अतः इससे स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 10.02.2017 को जनसभा का आयोजन की औपचारिक अनुमति इत्यादि कार्य हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से उक्त दोनों को ही अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि किसी भी जनसभा आदि की अनुमति से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी से विधिवत अनुमति लेना आवश्यक है। विधिवत अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ Annexure-16 [Reference- Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (September 2016, Document 6- Edition-2) page 124&125] लगाना आवश्यक होता है। श्री जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार व श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, भाजपा, विधान सभा 25 हरिद्वार द्वारा Annexure-16 लगाकर ऋषिकुल मैदान में जनसभा आयोजित करने हेतु कोई विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन करवाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत पदाधिकारियों कमशः श्री जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार व श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, भाजपा, विधान सभा 25 हरिद्वार द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। अतः श्री जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार तथा श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, भाजपा, विधान सभा 25 हरिद्वार के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तो यह न्यायसंगत होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मा0 व्यय प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मा0 प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
5. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर हरिद्वार को उक्त आदेश की प्रति समस्त संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की श्री जयपाल सिंह जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद हरिद्वार कार्यालय देवपुरा हरिद्वार निवासी ग्राम खेड़ली, पो0 बहादराबाद, हरिद्वार, 249402 तथा श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, हरिद्वार 25 विधानसभा (मो0नं0 9412070001) के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को दो दिन के भीतर अवगत करायें। (कुल पृष्ठ 18)
6. एआरओ–1 / तहसीलदार हरिद्वार को आदेश की दो प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि तत्काल आज ही स्वयं प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर हरिद्वार को आदेश की एक प्रति मय संलग्नकों सहित हस्तगत करातें हुए दूसरी प्रति पर प्राप्ति लेकर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

22/02/17

रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

जिलाध्यक्ष

Bhartiya Janta Party

जनपद-हरिद्वार

Distt.-Haridwar

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017,
जनपद हरिद्वार ।

श्रीमान् जी,

निवेदन इस प्रकार है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार, की जनसभा Sec-4 (थाने के बगल वाला मैदान) BHEL व ज्वालापुर ऋषिकुल मैदान हरिद्वार नगर में आने वाले कार्यक्रमानुसार होनी है तथा भेल स्टेडियम हैलीपैड पर उनके हैलीकाप्टरस के उतरने व उड़ने की अनुमति होनी है जिस हेतु BHEL व ऋषिकुल विद्यापीठ/City Magistrate से N.O.C. ली जानी है। उक्त कार्यक्रम दिनांक 10/02/2017 को तय हुआ है व सम्पूर्ण कार्यक्रम Schedule तय होने व Security Clearance के पश्चात पूरी तरह से जारी होगा। सम्बंधित विभागों की N.O.C. के लिए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित करें।

भवदीय

Chauhan

(डा० जयपाल सिंह चौहान)

दिनांक:- 3/2/2017.

ADM (E)

अग्रे० [illegible]

जनपद कार्यालय : देवपुरा, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड), फोन 01334-225599, ई-मेल : dpbjphdr@gmail.com

निवास : ग्राम खेड़ली, पो0 बहादराबाद, हरिद्वार-249402 (उत्तराखण्ड), मो0 09917290366, निवास : 01334-248640
ई-मेल : jaipschauhan@gmail.com

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

प्रेषित,

रिटर्निंग आफिसर,
वि0स0सा0निर्वाचन–2017
25–हरिद्वार नगर।

रिटर्निंग आफिसर,
वि0स0सा0निर्वाचन–2017
26–रानीपुर

संख्या 1627/25– /विससानि–17([illegible]) दिनांकः 4 फरवरी, 2017

विषयः विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के क्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के हैलीकोप्टर के बी0एच0ई0एल0 हैलीपैड पर लेण्डिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

डा0 जयपाल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी , जनपद हरिद्वार के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 03–2–2017 (प्रति संलग्न) प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार की **दिनांक 10–2–2017 को सेक्टर–4 पीठ के साथ लगे मैदान बीएचईएल** एवं **ऋषिकुल मैदान हरिद्वार** में जनसभा होने का कार्यक्रम **है**।

अतः उक्त स्थानों पर प्रस्तावित जनसभा के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 04.02.17

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
हरिद्वार।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

प्रेषित,

महाप्रबन्धक, सम्पदा,
बी0एच0ईएल0 रानीपुर
हरिद्वार।

संख्या 1637/25– /विससानि–17(हेली–अनु0) दिनांकः 4 फरवरी, 2017

विषयः विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के क्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के हरिद्वार में जनसभा के सम्बन्ध में।

महोदय,

डा0 जयपाल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जनपद हरिद्वार के द्वा प्रार्थना पत्र दिनांकित 03–2–2017 **(प्रति संलग्न)** प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि माननीय प्रधान मं भारत सरकार की **दिनांक 10–2–2017** को **सेक्टर–4 पीठ के साथ लगे मैदान बीएचईएल** एवं **ऋषिकु मैदान हरिद्वार** में जनसभा होने का कार्यक्रम **है।**

अतः आप **सेक्टर–4 पीठ के साथ लगे मैदान बीएचईएल** में प्रस्तावित जनसभा के सम्ब में अपनी अनापत्ति/सहमति/आपत्ति के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को आज अपरान्ह 02:00बजे त आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 04-02-17

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
हरिद्वार।

प्रतिलिपि रिटर्निंग आफिसर,वि0स0सा0निर्वाचन–2017, 26–रानीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 04-02-17

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
हरिद्वार।

जयपाल सिंह
जिलाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bhartiya Janta Party

जनपद-हरिद्वार
Distt.-Haridwar

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी
विधान सभा सामान्यनिर्वाचन 2017,
जनपद हरिद्वार

श्रीमान्‌जी,

निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, भारत सरकार के 10/2/2017 के कार्यक्रमानुसार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थित हैलीपैड पर उनके हैलीकाप्टरस के उतरने व उड़ने की अनुमति होनी है, जिस हेतु उक्त हैलीपैड की N.O.C. के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें

दि. 6/2/17

भवदीय
Chauhan

जिला अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी
जिला हरिद्वार

पद कार्यालय : देवपुरा, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड), फोन 01334-225599, ई-मेल : dpbjphdr@gmail.com
स : ग्राम खेड़ली, पो0 बहादराबाद, हरिद्वार-249402 (उत्तराखण्ड), मो0 09917290366, निवास : 01334-248640
ई-मेल : jaipschauhan@gmail.com

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम
संस्कृत महाविद्यालय,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
हरिद्वार

पत्रांकः 2250 /2016–17

दिनांकः 6.02.2017

विषयः विधान सभा सामान्य निर्वाचन,2017 के कम में माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के हरिद्वार में जनसभा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके पत्रांक सं0 1636/25/विससानि–17(हेली–अनु0) दिनांक 04 फरवरी,2017 के अनुपाल में आख्या निम्नवत् प्रेषित है :–

1. डा0 जयपाल सिहं चौहान, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी , जनपद हरिद्वार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2017 द्वारा अवगत कराया है कि **माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार** की दिनांक 10.02.2017 को ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार के मैदान मे जनसभा होने का कार्यक्रम है।
2. उक्त दिनांक 10.02.2017 मे मैदान मे कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित नही है मैदान रिक्त है।
3. श्रीमान् जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय द्वारा उक्त मैदान का भूमि प्रयोग शुल्क रूपये 7,200.00 (सात हजार दो सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
4. नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश दिनांक 23.08.2016 के अनुसार, मैदान में कूडा– करकट, गन्दगी की सफाई तथा मैदान में किसी प्रकार की क्षति व मरम्मत हेतु आयोजक से रूपये 5,000.00 मात्र (पॉच हजार रूपये मात्र) नकद रूप में लिया जाना है। आयोजक द्वारा मैदान की सफाई एंव गड्ढो आदि की मरम्मत न करने की दशा में उपरोक्त धनराशि से यह कार्य कराया जायेगा तथा अवशेष धनराशि आवेदक को कार्यक्रम के एक सप्ताह में उसके आवेदन देने नर वापस कर दी जायेगी।
5. भूमि प्रयोग करने की स्वीकृति के उपरान्त उसी दिन अथवा कार्यकम से न्यूनतम तीन दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करानी होगी यदि धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नही होती है तो भूमि प्रयोग करने की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. वर्तमान में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता 2017 लागू है। आयोजकों को मैदान में कार्यक्रम करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उक्त अनुमति न होने की दशा में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

महोदय प्रार्थी को ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार के मैदान में दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा करने हेतु, भूमि प्रयोग करने की अनुमति, संस्था हेतु उक्त अवधि एक दिन का भूमि प्रयोग शुल्क रूपये 7,200.00 (सात हजार दो सौ रूपये मात्र) जमा करने एवं सफाई आदि हेतु राशि रूपये 5,000.00 मात्र (पॉच हजार रूपये मात्र) लेकर सहमति दी जाती है।

भवदीय,
06/02/17

प्रधानाचार्य,
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम
संस्कृत महाविद्यालय,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्रीमान् नगर मजिस्ट्रेट/सचिव ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधानाचार्य,
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम
संस्कृत महाविद्यालय,
हरिद्वार।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर 25 विधानसभा क्षेत्र, हरिद्वार।

कक्ष सं0 322, कलेक्ट्रेट रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार

पत्रांक : 90(1)/नोटिस/वि0स0सा0नि0/2017 दिनांक : 12.02.2017

नोटिस

श्री विकास तिवारी,
चुनाव संयोजक,
विधान सभा 25 हरिद्वार
भारतीय जनता पार्टी, हरिद्वार
कार्यालय पुराना रानीपुर मोड़,
हरिद्वार।

नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करना है कि आपके द्वारा दिनांक 03.02.2017 को नगर मजिस्ट्रेट/सचिव ऋषिकुल विद्यापीठ, हरिद्वार के समक्ष आवेदन कर दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैली/जनसभा का आयोजन किये जाने हेतु ऋषिकुल मैदान आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके सापेक्ष कार्यालय प्रधानाचार्य, ऋषिकुल विद्यपीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या 2255/2016–17 दिनांक 06.02.2017 के द्वारा अनुमति इस आधार पर दी गयी थी कि आयोजकों को विधिवत् जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरिद्वार से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी तथा अनुमति न होने की दशा में उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली/जनसभा में मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी सहित पार्टी के विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था परन्तु आपके या आपके किसी पार्टी सदस्य द्वारा उक्त रैली/जनसभा आयोजन हेतु किसी प्रकार की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से नहीं ली गयी है। इसके अतिरिक्त सहायक व्यय प्रेक्षक, 25 हरिद्वार विधान सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 12 फरवरी, 2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिनांक 10.02.2017 को उक्त रैली/जनसभा में बेरीकेडिंग, मंच, लाईट, कुर्सी, मेज, पंडाल, साउंड सिस्टम, मैट, कन्नात, सामियाना इत्यादि सामग्री मै0 वृन्दावन टेन्ट हाउस, देवपुरा हरिद्वार के माध्यम से करवाया गया है। उक्त पर हुए व्यय सम्बन्ध में भी आपके द्वारा कोई सूचना अभी तक नहीं दी गयी है। आपका यह कार्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

चूँकि प्रति उत्तर देने के लिए अधिक समय दिया जाना सम्भव नहीं है, अतः आप दिनांक 13.02.2017 को समय अपरांन्ह 03.00 बजे तक अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा समय अर्न्तगत एवं सन्तोषजनक उत्तर न पाये जाने की दशा मे यह समझा जायेगा कि आपको इस सन्दर्भ में कुछ नही कहना है, तदनुसार आपके विरूद्ध विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के कारण नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12/02/17

रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

रिटर्निंग ऑफिसर
25–हरिद्वार विधानसभा निर्वाचन
विधानसभा सामान्य निर्वाचन

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मा0 प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय व्यय प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
6. सहायक व्यय प्रेक्षक, हरिद्वार।
7. प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, हरिद्वार।
8. लेखा टीम विधान सभा 25, हरिद्वार।
9. एआरओ–1/तहसीलदार हरिद्वार को इस आशय से की नोटिस की प्रति आज ही तत्काल विशेष सन्देशवाहक के माध्यम से तामिली कराना सुनिश्चित करें।

रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

सेवा में,

श्रीमान रिटर्निंग आफिसर
25 विधानसभा हरिद्वार
उत्तराखण्ड

विषयः– आपके पत्रांक 90 / नोटिस /वि0स0सा0र्नि0 / 2017 दिनांक 12–02–2017 के सन्दर्भ में आपत्ति एवं स्पष्टीकरण।

महोदय,

निवेदन है कि आपके उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है कि आपका उक्त नोटिस प्रेषित किया जाना उचित नहीं है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मदन कौशिक का प्रश्नगत प्रधानमंत्री की सभा के आयोजन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, अलावा इसके कि श्री मदन कौशिक हरिद्वार के स्थानीय विधायक हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ तो स्थानीय विधायक की उपस्थिति नैतिक रूप से आवश्यक रहती है सभा संचालक द्वारा सभा स्थल पर उपस्थित हरिद्वार जिले के सभी विधायकों एवं भाजपा के प्रत्याशियों एवं ऋषिकेश के विधायक को आमंत्रित किया गया था। इसी हेतु श्री मदन कौशिक उक्त सभा में उपस्थित हुये इसके अलावा श्री मदन कौशिक का प्रश्नगत सभा के आयोजन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमान जी द्वारा प्रेक्षित नोटिस में अनुमति न लिये जाने व कुर्सी आदि व्यवस्था के सम्बन्ध में जो तथ्य अंकित किये गये है उनसे श्री मदन कौशिक का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है उक्त सभी व्यवस्था प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई और समस्त व्यय बिल भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही है। इन तथ्यों को बिना किसी साक्ष्य एवं सत्यता के श्री मदन कौशिक के साथ जोड़ा जाना उचित नहीं है।

यह तथ्य भी विदित है कि सभा से पूर्व श्रीमान उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा आपको पत्र द्वारा आदर्श आचार सहिंता के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्दिष्ट किया था अगर उक्त सम्बन्ध में आपके द्वारा अनुमति सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हुई तो उक्त मामले को श्री मदन कौशिक से जोड़ा जाना निष्पक्ष कार्यवाही होने हेतु संदेहित है।

श्रीमान जी ने अपने प्रश्नगत नोटिस के अन्तिम पैरा में जो तथ्य कहें हैं वो उत्पीड़नात्मक है विदित हो कि प्रधानमंत्री की प्रश्नगत सभा 10/02/2017 को हुई और नोटिस 13/02/2017 को अतिविलम्ब से जारी किया गया तथा उक्त नोटिस अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया और जोकि दिनांक 14/02/2017 को दोपहर 12:00 बजे अचानक मिला।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपने प्रश्नगत नोटिस के आधार पर श्री मदन कौशिक के विरूद्ध समान्य निर्वाचन 2017 प्रभावी आचार सहिंता के निर्देशों के प्रकाश में कोई कार्यवाही न करके प्रश्नगत नोटिस श्री मदन कौशिक विरूद्ध निष्प्रभावित अथवा निरस्त करने की कृपा करें।

भवदीय,

–ःसंलग्नकः–
वृन्दावन टैन्ट हाउस के बिल की प्रति।

दिनांक – 14/02/2017

मनोज कौशिक
चुनाव अभिकर्ता
प्रत्याशी– श्री मदन कौशिक
भारतीय जनता पार्टी, 25 – हरिद्वार।
पताः– चुनाव कार्यालय भाजपा,
पुराना रानीपुर मोड़, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो0ः–9837249952

...पाल सिंह
जिलाध्यक्ष

Bhartiya Janta Party
जनपद–हरिद्वार
Distt.-Haridwar

सेवा में,
रिटर्निंग अफसर
25- विधानसभा हरिद्वार,
वि.स.सा.नि. 2017

महोदय,
आपके द्वारा जारी किया गया पत्र सं० १०(3)/नोटिस/वि.स.सा.नि./2017 दि. 12/2/2017 के सम्बंध में अवगत कराना है कि दिनांक 10/2/17 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार की जनसभा का आयोजन प्रदेश भाजपा उत्तराखंड द्वारा किया गया था। जिला हरिद्वार भाजपा का कार्य उक्त जनसभा में प्रतिभाग करने के लिए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को प्रेरित कर रैली को सफल बनाने का था। जिला भाजपा हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार रैली की सफलता हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करना था। उक्त रैली से सम्बंधित समस्त जानकारी, आय व्यय आदि सहित उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के ही संज्ञान में है। आप उक्त विषय के संदर्भ में उत्तराखंड प्रदेश भाजपा, प्रदेश कार्यालय, बलबीर रोड, देहरादून उत्तराखंड से जानकारी ले सकते हैं।

धन्यवाद

दिनांक :- 13/2/2017

भवदीय
Chauhan
जिला अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी
जिला हरिद्वार

Copy to :-
) जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार
वि.स.सा.नि. 2017

पद कार्यालय : देवपुरा, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड), फोन 01334-225599, ई-मेल : dpbjphdr@gmail.com
ास : ग्राम खेड़ली, पो0 बहादराबाद, हरिद्वार-249402 (उत्तराखण्ड), मो0 09917290366, निवास : 01334-248640
ई-मेल : jaipschauhan@gmail.com

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर 25 विधानसभा क्षेत्र, हरिद्वार।

पत्रांक : 90(27)/नोटिस/वि0स0सा0र्नि0/2017 दिनांक : 12.02.2017

नोटिस

मै0 वृन्दावन टेन्ट हाउस,
देवपुरा, हरिद्वार।

नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करना है कि सहायक व्यय प्रेक्षक, 25 हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 12 फरवरी, 2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली/जनसभा जिसमें मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिभाग किया गया था में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

1–	बेरीकेडिंग	6–	मंच
2–	लाईट	7–	साउंड सिस्टम
3–	कुर्सी	8–	मैट
4–	मेज	9–	कन्नात
5–	पंडाल	10–	सामियाना

चूँकि प्रकरण गम्भीर एवं चुनाव व्यय तथा आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित है इसलिए प्रति उत्तर देने के लिए अधिक समय दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिए आप तत्काल उक्त सामग्री की पृथक–पृथक संख्या तथा उस पर हुए व्यय के सम्बन्ध में दिनांक 13.02.2017 अपरान्ह 03.00 बजे तक इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि आपके द्वारा ससमय सूचना नहीं दी जाती है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

12/02/17
रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मा0 प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय व्यय प्रेक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
6. सहायक व्यय प्रेक्षक, हरिद्वार।
7. प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, हरिद्वार।
8. लेखा टीम विधान सभा 25, हरिद्वार।
9. एआरओ–1/तहसीलदार हरिद्वार को इस आशय से की नोटिस की प्रति आज ही तत्काल विशेष सन्देशवाहक के माध्यम से तामिली कराना सुनिश्चित करें।

12/02/17
रिटर्निंग ऑफिसर
25 विधानसभा क्षेत्र
हरिद्वार।

13/2/17 1.00 P.M.

BILL

Vrindaban Tent House

Event Management, Hirer & Decorators of Marriages Functions, Exhibitions & Water Proof Pandals

TIN : 05005425526, Service Tax Reg.No. ABPPA7262CST001

Office
Opp Rishikul Pharmacy, Devpura.
Haridwar- 249401 (Uttarakhand)
Tel. : 01334-226645, 225545
Fax : 01334-221045
E-mail : vtenthouse@gmail.com
Website : www. vrindabantenthouse.com

319 Date 12/2/2017

भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड, देहरादून

ITEM	Qty.	Rate	Amount Rs.	P.
मंच 16x32	512 व.फुट	25/=	12800	00
मंच पर शामियाना 16x32	512 व.फुट	10/=	5120	00
बैरिकेटिंग व बल्ली	2210 मीटर	25/=	55250	00
जाली	200 व.फुट	15/=	3000	00
मैटिंग	5000 व.फुट	1/=	5000	00
कुर्सी	4000	15/=	60000	00
पर्दा 18'	70	60/=	4200	00
गेट	1	5000/=	5000	00
मेज	30	15/=	450	00
कनात	5	50/=	250	00
शामियाना 18x18	1	1000/=	1000	00
पैगोडा	2	3000/=	6000	00
मीडिया मंच 20x30	600 व.फुट	6/=	3600	00
			161670	00
	Service Tax	14%	22634	00
	KKC	.5%	808/-	
	SBA	.5%	808/-	
			185920/=	

For Vrindaban Tent House

Signature

[illegible] जयपाल सिंह
जिलाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bhartiya Janta Party
जनपद–हरिद्वार
Distt.-Haridwar

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017,
जनपद हरिद्वार।

श्रीमान् जी,

निवेदन इस प्रकार है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार की जनसभा Sec-4 (पीठ के बगल वाला मैदान) BHEL वं गुरुकुल मैदान हरिद्वार/नगर में आने वाले कार्यक्रमानुसार होनी है तथा भेल स्टेडियम हैलीपैड पर उनके हैलीकाप्टरस के उतरने व उड़ने की अनुमति होनी है जिस हेतु BHEL व गुरुकुल विद्यापीठ/ City Magistrate से N.O.C. ली जानी है। उक्त कार्यक्रम दिनांक 10/02/2017 को तय हुआ है व सम्पूर्ण कार्यक्रम Schedule तय होने व Security Clearance के पश्चात पूरी तरह से जारी होगा। सम्बंधित विभागों को N.O.C. के लिए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित करें।

भवदीय
Chauhan
(डा० जयपाल सिंह चौहान)

दिनांक:- 3/2/2017.

ADM (E)
[signature] 3/2/17

[पद] कार्यालय : देवपुरा, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड), फोन 01334-225599, ई-मेल : dpbjphdr@gmail.com

महोदय,

पत्रावली मे समक्ष प्रस्तुत श्री विकास तिवारी, चुनाव संयोजक, विधान सभा–25 हरिद्वार, भारतीय जनता पार्टी, हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2017 पर आख्या निम्नवत् प्रेषित है :–

1. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2017 द्वारा ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार के मैदान मे दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा करने हेतु मैदान प्रयोग करने की मॉग की है।
2. उक्त अवधि मे मैदान मे कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित नही है मैदान रिक्त है।
3. श्रीमान् जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय द्वारा उक्त मैदान का भूमि प्रयोग शुल्क रूपये 7,200.00 (सात हजार दो सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
4. नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश दिनांक 23.08.2016 के अनुसार, मैदान मे किसी प्रकार की क्षति, कुडा–करकट, गड्डो तथा मरम्मत व सफाई आदि किये जाने हेतु आयोजक से रूपये 5,000.00 मात्र (पॉच हजार रूपये मात्र) नकद रूप मे धनराशि ली जानी है। धनराशि वापसी के लिए आयोजक को एक सप्ताह के अन्दर प्रार्थना पत्र देना होगा यदि एक सप्ताह मे धनराशि प्राप्त नही की जाती है तो अवशेष धनराशि का प्रयोग मैदान की देखभाल व सफाई/गड्डो आदि की भरवाई/स्कूल मे अन्य स्थान की सफाई आदि मे उक्त धनराशि को व्यय किया जायेगा एक सप्ताह के बाद धनराशि वापसी का दावा स्वीकार नही होगा। धनराशि की वापसी प्रधानाचार्य व सचिव महोदय के संतुष्ट होने (मैदान की पूर्ण रूप से सफाई व गड्डे आदि न होकर मैदान समतल होने पर) आयोजक को वापिस कर दिया जायेगा। आयोजक द्वारा मैदान की सफाई व गड्डे आदि की मरम्मत न करने की दशा मे उपरोक्त धनराशि से यह कार्य कराया जायेगा तथा अवशेष धनराशि आवेदक को कार्यक्रम के एक सप्ताह मे उसके आवेदन देने पर वापस कर दी जायेगी।
5. भूमि प्रयोग करने की स्वीकृति के उपरान्त उसी दिन अथवा कार्यक्रम से न्यूनतम तीन दिन पूर्व अनिवार्य रूप से उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी यदि धनराशि जमा नही होती है तो भूमि प्रयोग करने की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. वर्तमान मे प्रदेश मे आदर्श आचार संहिता 2017 लागू है। आयोजको को मैदान मे कार्यक्रम करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति आवश्यक रूप से लेनी होगी। उक्त अनुमति न होने की दशा मे यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

महोदय प्रार्थी को ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार के मैदान में दिनांक 10.02.2017 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा करने हेतु, भूमि प्रयोग करने की अनुमति संस्था हेतु उक्त अवधि एक दिन का भूमि प्रयोग शुल्क रूपये 7,200.00 (सात हजार दो सौ रूपये मात्र) जमा करने एवं धरोहर राशि रूपये 5,000.00 (पॉच हजार रूपये मात्र) लेकर अनुमति देना चाहें।

[signature] ०४/०२/17
प्रधानाचार्य
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम
स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय
हरिद्वार

अनुमत यथा प्रस्तावित
[signature] 05/02/17
(जय भारत सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट/सचिव
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम
हरिद्वार

0688014
dt 6-02-17
स्टेट बैंक पंतद्वीप
[illegible] dt 6-02-17

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

प्रेषित,

प्रधानाचार्य,
ऋषिकुल विद्यापीठ
हरिद्वार।

संख्या/ 636 /25- /विससानि-17(हेली-अनु0) दिनांकः 4 फरवरी, 2017

विषयः विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के क्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के हरिद्वार में जनसभा के सम्बन्ध में।

महोदय,

डा0 जयपाल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी , जनपद हरिद्वार के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 03-2-2017 (प्रति संलग्न) प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार की **दिनांक 10-2-2017 को सेक्टर-4 पीठ के साथ लगे मैदान बीएचईएल एवं ऋषिकुल मैदान हरिद्वार** में जनसभा होने का कार्यकम है।

अतः आप **ऋषिकुल मैदान हरिद्वार** में प्रस्तावित जनसभा के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति/सहमति/आपत्ति के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को आज अपरान्ह 02:00बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

04.02.17

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
हरिद्वार।

प्रतिलिपि रिटर्निंग आफिसर,वि0स0सा0निर्वाचन-2017, 25-हरिद्वार नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
हरिद्वार।

UTTARAKHAND 249402

06022017

ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम-हरिद्वार

सात हजार दो सौ रुपये मात्र

अदा करें ₹ 7200/-

32395461770

VALID FOR RS. 5,00,000 & UNDER

Prefix:
0523500002

JAYPAL SINGH

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

Please sign above

⑈688014⑈ 249002997⑆ 001012⑈ 31

पंजाब नेशनल बैंक
punjab national bank

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

शाखा/Branch

दिनांक Date 06022017

बचत/चालू/ओडी/नकद उधार/आवर्ती जमा/आवधिक ऋण/मांगऋण खाता संख्या/क्रेडिट कार्ड संख्या SF/CA/OD/CC/RD/TL/DL A/c No./Credit Card No.

1496000100046542

नाम/Name ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम

दूर/Tel. 223067

राशि Amount ₹ 7200-00 पै./P.

राशि शब्दों में/Amount (in words) सात हजार दो सौ

688			7200-00
dt 6-2-2017			
कुल/Total			

PNB: 154(R) / 44/2016(20Lvs)/Edn. Stores

Officer/Cashier/SWO

Punjab National Bank Toll free 24 hours call centre 1800 180 2222 / 1800 103 2222

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ।

संख्या 104 /न्या0अनु0–विधि–व्य0/धारा 144द.प्र.सं./2017 दिनांकः 07 जनवरी, 2017

संशोधन आदेश
(अन्तर्गत धारा 144 सी0आर0पी0सी0)

इस कार्यालय के पत्रांक 80/न्या0अनु0–विधि–व्य0/धारा 144द.प्र.सं./2017 दिनांकः 06 जनवरी 2017 के द्वारा आदेश निर्गत कर सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार में अन्तर्गत धारा 144 सी0आर0पी0सी के प्राविधान लाग किये गये हैं।

उक्त आदेश में मतदान का दिनांक 15 मार्च, 2017 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे 15 मार्च 201 के स्थान पर **मतदान का " दिनांक 15 फरवरी, 2017"** पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे।

07.01.17

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं कार्यालय नोटिस बोर्डों पर प्रचार प्रसार हेतु एक प्रति प्रकाशन करने हेतु ।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एवं राजस्व)/(प्रशासन) हरिद्वार।
4. समस्त रिटर्निंग आफिसर, विधान सभा सामान्यय निर्वाचन 2017
5. नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/उप जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर।
6. पुलिस अधीक्षक(नगर)/ग्रामीण, जिला हरिद्वार।
7. समस्त क्षेत्राधिकारी(पुलिस), जिला हरिद्वार।
8. समस्त प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली/थाना जिला हरिद्वार।
9. जिला सूचनाधिकारी, हरिद्वार को इस आश्य से प्रेषित कि वह उक्त आदेश का व्यापाक प्रचार–प्रसार समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराकर एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित् करें।

07.01.17

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

आदेश

(अन्तर्गत धारा 144 सी0आर0पी0सी0)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांकः 04 जनवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद हरिद्वार में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 की प्रक्रिया दिनांक 20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार) से प्रारम्भ हो रही है तथा दिनांक 15 मार्च 2017 को मतदान नियत है। निर्वाचन प्रकिया की अवधि में मतदान से पूर्व एवं मतदान के दौरान जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना नितान्त आवश्यक है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि असामाजिक व अवांछनीय तत्व विधान सामान्य निर्वाचन के दौरान साम्प्रदायिकता, जातियता, राजनैतिक प्रतिद्वन्धता तथा धार्मिक एवं भाषीय आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने/फैलाने का प्रयास कर दें अथवा अन्य समाज विरोधी एवं अवांछनीय कार्यवाही का प्रयास कर दें जिससे गम्भीर शान्ति सुरक्षा व विधि व्यवस्था भंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त स्थितियों एवं सूचनाओं के परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव **मैं डा0 अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)** हरिद्वार दण्ड प्रक्रिया सहिंता में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार में धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित करता हूँ :–

1. विधान सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों, हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल ना ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और ना ही जुलूस आदि निकालेंगे।
2. कोई भी दल अथवा व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम्ब अथवा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जन साधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए, जैसे अवांछनीय /आपराधिक कृत्य सम्मिलित हैं, को किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा। उपरोक्त अंकित शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध डियूटी पर कार्यरत पुलिस अथवा राजकीय कर्मियों पर लागू नहीं होगा। वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्ति चलने हेतु स्टिक लेकर चल सकते हैं, यदि वे इनके बिना चलने में असमर्थ हों। धार्मिक रूप से अनुमन्य हथियारों को साथ रखने एवं परिवहन करने पर यह प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होंगे।
3. कोई भी दल अथवा व्यक्ति उप जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार की पूर्व अनुमति के बिना सचल वाहन में, सभा स्थल पर, जुलूस में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा।
4. कोई भी दल अथवा व्यक्ति लाउड स्पीकर या पी0ए0 सिस्टमं का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य सिवाय बन्द परिसर, यथा आडिटोरियम, कॉन्फ्रेस रूम, सामुदायिक हॉल, बैंकटहॉल इत्यादि में सूचना हेतु प्रयोग करने के लिए नहीं करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति अधोलिखित क्षेत्रों में शोर स्तर को एम्बीएन्ट वायु गुणवत्ता मानक से अधिक कदापि नही बढायेगा।

<u>क्षेत्र का कोड</u>	<u>क्षेत्र का वर्गीकरण</u>	डी बी (ए) लेक (Leq) सीमा <u>दिन</u>	<u>रात्रि</u>
A	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
B	व्यापारिक क्षेत्र	65	55
C	आवासीय क्षेत्र	55	45
D	साइलेंस क्षेत्र	50	40

6. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नोट अथवा पोस्टर नहीं लगायेगा और न ही इस प्रकार के किसी भी रूप में पोस्टर आदि का वितरण करेगा और न ही उक्त कृत्य को करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा।
7. कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा लेख, पुस्तक, पत्रिका अथवा किसी अन्य माध्यम (यथा इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया, Whatsapp, facebook, Twitter इत्यादि) अन्य कोई चीज जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह अथवा सन्दर्भित त्योहारों के मध्य द्वेष अथवा भड़काने वाली

——2

(signature) 6.01.17

भावनाओं का संचार होना सम्भव हो, न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित करने एवं छापने का प्रयास करेगा और न ही किसी भी प्रकार से प्रसारित करेगा।

8. कोई भी दल अथवा व्यक्ति अपने किसी कार्यकृत, अकृत द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़कायेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भव हो।

9. कोई भी दल अथवा व्यक्ति अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य अथवा शब्दों द्वारा किसी भीड़ अथवा व्यक्तियों को हिंसा के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं उकसायेगा और न उकसाने का प्रयास करेगा।

10. कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं फैलायेगा जिससे अफवाह अथवा भ्रम पैदा होता हो।

11. कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसी कोई कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक, भाषा समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

12. कोई भी दल अथवा व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण किसी भी रूप में नहीं करेगा और न ही ऐसे कृत्य को प्रोत्साहित करेगा।

13. कोई भी दल अथवा व्यक्ति प्राइवेट परिसम्पत्तियों के स्वामी की पूर्व अनुमति के तथा संबंधित रिटर्निंग आफिसर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार सामग्री उसकी सम्पत्ति पर नहीं लगायेगा और न ही ऐसे किसी कृत्य को बढ़ावा देगा।

14. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग के आर–पार किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा।

15. कोई भी दल अथवा व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के ऐसी ख्या में जो निर्वाचन आयोग के नियम के विपरीत हो, वाहनों तथा जीप, कार, ट्रक, अथवा बस इत्यादि के समूह के रूप में निर्वाचन प्रचार–प्रसार हेतु यात्रा नहीं करेगा।

16. कोई भी दल अथवा व्यक्ति बिना अनुज्ञापन के कोई ऐसिड अथवा ऐसा पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयोग किया जा सके, एकत्रित नहीं करेगा न ही उसका भण्डारण करेगा और न ही उसे लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट अथवा उसके टुकड़े, पत्थर अथवा उल्लिखित अस्त्रों में किसी को भी अपने मकान की छत अथवा अन्य स्थान पर जमा नहीं करने देगा, न करेगा।

17. कोई भी दल अथवा व्यक्ति प्राइवेट सेनाएं नहीं बनायेगा और ना ही प्राईवेट सेना बनाने में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा।

18. कोई भी दल अथवा व्यक्ति धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरूद्वारों या पूजा केन्द्र अन्य स्थलों पर किसी भी प्रकार निर्वाचन प्रचार–प्रसार के रूप में प्रयोग नहीं करेगा।

19. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे किसी पहलू की आलोचना नहीं करेगा जिसका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक क्रिया कलाप से ना हो।

20. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा दल की आलोचना ऐसे आरोपों के आधार पर नहीं करेगा जिसकी सत्यता स्थापित नहीं हुई हो।

21. कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देने, अभित्रस्त करने, मतदाताओं का प्रतिरूप करने,किसी भी प्रकार का मतदाता को प्रलोभन देने, मदिरा सेवन करने अथवा मदिरा वितरण करने, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर, मतसंयाचना करने, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घण्टे की अवधि में सार्वजनिक सभाएं करने और मतदाताओं को सवारी से मतदान स्थल तक लाने व वापस ले जाने का कार्य नहीं करेगा।

22. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी अन्य दल अथवा व्यक्ति के प्रचार प्रसार की सामग्री को स्वयं न हटायेगा और न ही किसी दल अथवा व्यक्ति के जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा में बाधा डालेगा।

23. कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे यातायात में अथवा किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। यदि कोई जुलूस लम्बा है तो उसे इस प्रकार संचालित किया जायेगा जिससे आवागमन की कोई बाधा न हो। उसे टुकड़ों में विभाजित कर संचालित किया जाये।

24. कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी दल के पुतले लेकर चलने तथा उसको सार्वजनिक स्थान पर दहन करने का कार्य नहीं करेगा।

25. कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये गये निर्बंधनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने की अवहेलना नहीं करेगा।

26. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

—3

06.01.17

27. कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे निर्वाचन संचालन में विघ्न उत्पन्न होता हो।
28. कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को मतदान के दिन कोई ऐसी पर्ची प्रदत्त नहीं करेगा जिसमें किसी प्रत्यासी अथवा दल का चुनाव चिन्ह एवं प्रत्यासी अथवा पार्टी का नाम उल्लेखित हो।
26. कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को निर्वाचन के दौरान अथवा मतदान के दिन शराब का वितरण नहीं करेगा।
30. कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर अपने कैम्प में कोई भी पोस्टर, झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। कैम्प में खाद्य पदार्थ पेश नहीं किया जायेगा और भीड़ नहीं लगायी जायेगी।
31. कोई भी दल अथवा व्यक्ति नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के अन्दर कोई भी वाहन कदापि नहीं लगायेगा।

उपर्युक्त आदेश आपातिक स्थिति एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 की संवेदनशीलता के दृष्टिगत रखते हुये तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण विपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण एक पक्षीय रूप से पारित करता हूँ।

उपरोक्त प्रतिबन्ध इस आदेश के जारी होने के दिनांक 06 जनवरी, 2017 से 20 फरवरी 2017 तक लागू होंगे, यदि यह अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय।

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। निर्वाचन विषयक अपराधों पर पृथक से सक्षम स्तरों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय/कार्यालय की मुहर से निर्गत किया गया।

06.01.17

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

<u>कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।</u>

संख्या 80 /न्या0अनु0–विधि–व्य0/धारा 144द.प्र.सं./2017 दिनांकः 06 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं कार्यालय नोटिस बोर्डों पर प्रचार प्रसार हेतु एक प्रति प्रकाशन करने हेतु।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एवं राजस्व)/(प्रशासन) हरिद्वार।
4. समस्त रिटर्निंग आफिसर, विधान सभा सामान्यय निर्वाचन 2017
5. नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/उप जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर।
6. पुलिस अधीक्षक(नगर)/ग्रामीण, जिला हरिद्वार।
7. समस्त क्षेत्राधिकारी(पुलिस), जिला हरिद्वार।
8. समस्त प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली/थाना जिला हरिद्वार।
9. जिला सूचनाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश का व्यापाक प्रचार–प्रसार समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराकर एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित् करें।

06.01.17

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।